उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सत्र-2023 के द्वितीय शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री भीमराव अम्बेडकर, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-37 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
37(क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जनपद-गौतमबुद्ध नगर के कौन-कौन से अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कालेजों में अध्यापकों एवं कर्मचारियों द्वारा बायोमेट्रिक मशीन से सिर्फ आगमन का अंगूठा लगाया जा रहा है तथा प्रस्थान का अंगूठा नहीं लगाया जा रहा है?	जनपद गौतमबुद्ध नगर के समस्त 45 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की बायोमैट्रिक मशीन में अध्यापकों एवं कर्मचारियों द्वारा आगमन तथा प्रस्थान का अंगूठा लगाया जा रहा है।
(ख) क्या आगमन के बाद बिना प्रस्थान का अंगूठा लगाये, डयूटी अवधि में उपस्थित रहने का पूरा समय मशीन में दर्ज हो जाता है अथवा मशीन उपस्थिति दिखाने की सिर्फ औपचारिकता रह जाती है?	आगमन के बाद बिना प्रस्थान का अंगूठा लगाये डयूटी अवधि में उपस्थित रहने का पूरा समय मशीन में दर्ज नहीं होता है। मशीन केवल अंगूठा लगाने वाले व्यक्ति की तत्समय की उपस्थिति प्रमाणित करती है। तदनुसार आगमन एवं प्रस्थान की उपस्थिति बायोमैट्रिक मशीन द्वारा दर्ज किया जाना औपचारिकता नहीं है।
(ग) दिनांक 01 जुलाई, 2022 से वर्तमान तक जनपद के अधिकांश विद्यालयों के अध्यापक/कर्मचारियों का वेतन सिर्फ आगमन का अंगूठा लगाने मात्र के आधार पर पूरे समय उपस्थिति मानकर ही भुगतान किया जा रहा है?	प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य के द्वारा शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की उपस्थिति प्रमाणित करने के पश्चात ही वेतन भुगतान किया जाता है।
(घ) क्या जनपद के सभी विद्यालयों में आगमन और प्रस्थान के अंगूठे मशीन में दर्ज	अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित

करवाने एवं कार्य अवधि में पूरी उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु जिले के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश जारी करेंगे?	किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1079/15-8-2016-3052/2016, दिनांक 21-10-2016 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये थे, जिसके अनुपालन में शिक्षा निदेशक(मा0), उत्तर प्रदेश के पत्रांक-शिविर/10220-10531/2016-17, दिनांक 27-10-2016 एवं पत्रांक-सा0(1)शिविर/142-204/2017-18, दिनांक 07 अप्रैल, 2017 द्वारा प्रदेश के समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (प्रथम एवं द्वितीय) को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये। इसी क्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतमबुद्ध नगर के पत्रांक-मा0/2821/2021-22, दिनांक 01-09-2021 द्वारा जनपद गौतमबुद्ध नगर के समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को माह सितम्बर, 2021 का वेतन बिना बायोमैट्रिक उपस्थिति के आहरित न किये जाने के निर्देश भी निर्गत किये गये हैं। पुन: इसी क्रम में निदेशालय के पत्र दिनांक 27-02-2023 द्वारा प्रदेश के समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक व जिला विद्यालय निरीक्षक (प्रथम एवं द्वितीय) को शासनादेश दिनांक 21-10-2016 के अनुसार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।
(ड) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

गुलाब देवी
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।